



राजस्थान राज्य सरकार (राजस्थान प्रभुता) राजस्थान राज्यपुरुष

राजस्थान ई-मैल



क्रमांक : एक ५७७१८४२ / अधिकारी / उपराज्यपाल /
मिनिस्टर,

दिनांक : 2023

एवं वन संरक्षक (वन्यजीव),
झीलनगर।

दिव्य राजस्थान कर्मचारी स्व० श्रीमती दरिया खाट, बैलदार के आश्रित श्री किशन राव
को छोड़कर वन के पद पर राज्य सेवा में अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने वाल।

चौहान

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित श्री किशन राव आश्रित पुत्र
श्रीमती दरिया खाट को छोड़कर वन के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कार्यस्थल उप वन संरक्षक (वन्यजीव),
झीलनगर आवेदन किया जाता है।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-

1. राज्य सरकार के मृतक आश्रित में से छोड़कर वन के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की ऐक्षिक/प्रैरैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण—पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि को पूर्ण जांच करे एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। राज्य से बाहर की लिंगियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जांच करेंगे।
2. मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी/केन्द्र/निगम बोर्ड या उपक्रम में कार्य प्रदान दिये तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें। (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा)।
3. मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अवियाहित हैं इस आशय का शापथ पत्र प्राप्त करें। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.10.2021 के क्रम में प्राप्त प्रकरणों में आवेदकों की पात्रता का परीक्षण कर संतुष्ट होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश जारी करें।
4. आवेदक पति/पत्नी होने पर कार्यग्रहण तिथि तक पुनः विवाह नहीं किया है, का शापथ—पत्र प्राप्त करें।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.2001 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण/भरण पोषण करने के संबंधी शापथ पत्र प्राप्त करेंगे। कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2001 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।
6. दत्तक पुत्र, पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के प्रावधानानुसार करेंगे।
7. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)कार्मिक(क-2)(95) दिनांक 08.04.2003 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.2005 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
8. नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ए-II/06 दिनांक 20.01.2002 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-01 में प्रोबेशन ट्रेनीज (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय रूपये 12400/- प्रतिमाह पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
9. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनीज) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2)वित्त (नियम)2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधायी निधि की नियमानुसार मासिक कटौती की जावेगी।
11. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
12. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इहें कलेण्डर वर्ष में केवल 16 दिन का ही आकर्षित अवकाश देय होगा। पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर अवकाश अनुज्ञा देय होगा।

Signature valid

Digitally signed by Deepak Narayan
Pandey
Designation : **Chief Conservator Of Forest**
Date: 2023.02.13 11:10:13 IST
Reason: Approved

13. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अध्ये आवश्यक का सत्यापन संबंधित पुलिस अधीकारी द्वारा करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगे।
14. राज्य सरकार की अधिसूचना एफ-५ (५१)डीओपी/ए-॥/८८ पीटी जयपुर दिनांक ०६.०४.२०१५ के अनुसार नियम-५ में हुए संशोधन की पालना सुनिश्चित करें।
15. कार्मिक (क-२) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.५ (५१)कार्मिक / क-२/८८ पार्ट जयपुर दिनांक ३१.०५.२०१६ के अनुसार आवेदक विवाहित है तो उसकी पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री यदि पूर्व से ही (नियम-५ में यथा परिभाषित) नियोजित है, को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित न होने के कारण, नियम-२ (ग) के तहत आश्रित की श्रेणी में नहीं माना जायेगा। फलतः ऐसे पुत्र को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देय नहीं होगी।
16. जिन अध्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा १८ वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उन्हें ऐसे पद पर नियुक्ति प्रदान की जाये जिस पर किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं हो।
17. राज्य सरकार के आदेशानुसार धुम्रपान/मध्याह्न नहीं करने एवं गुटखा नहीं खाने का स्व-घोषणा-पत्र तथा दहेज नहीं लेने के संबंध में आवेदक से नियमानुसार शपथ-पत्र प्राप्त करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में मृतक/आवेदक के नाम/उपनाम आदि में विसंगति होने पर नियमानुसार यथेष्ट भाषा में शपथ पत्र लेवे।
18. जिन प्रकरणों में कार्मिक विभाग/शासन से शिथिलन प्राप्त है, उन प्रकरणों में प्राप्त शिथिलन में निहित शर्तों की अनुपालना की जावे।
19. जिन प्रकरणों में शिथिलन प्रदान किया गया है एवं जो अन्य विभाग के होने के कारण कार्मिक विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें शिथिलन आदेश में वर्णित शर्तों एवं कार्मिक विभाग से प्राप्त होने वाले प्रकरणों में कार्मिक विभाग के पत्र में वर्णित शर्तों की अनुपालना होने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करें। इस हेतु नियुक्ति आदेश जारीकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
20. विधवा आवेदक के प्रकरणों में यदि पति की जाति जोड़कर आवेदन किया गया है तो नियुक्ति अधिकारी ही नियुक्ति आदेश जारी करें तथा विवाहित आवेदक के संबंध में पूर्ण पुष्टि करते हुए पुष्टि होने पर नियुक्ति आदेश जारी करें। अविवाहित आवेदक के संबंध में वैवाहिक स्थिति का अद्यतन शपथ पत्र प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करें। यदि वैवाहिक स्थिति में अन्तर है तो आवेदकों के आश्रितों के संबंध में नियम-५ के समस्त दस्तावेज (आवेदक व आवेदक की पत्नी का शपथ पत्र आवेदक के आश्रित परिवार के संबंध का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।
21. आवेदक की जन्मतिथि के संबंध में नियुक्ति अधिकारी अपने स्तर पर प्रथमतः शैक्षणिक योग्यता/टीसी (सक्षम स्तर से प्रमाणित) एवं केवल, आवेदक के विद्यालय प्रवेश नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र से पुष्टि करने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी करें।
22. आवेदक की सेवा-पुस्तिका में लाल स्थाही से यह अंकित किया जावे कि श्री/सुश्री/श्रीमतीको इनके माता/पिता/पति की मृत्यु पर मृत राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम-१९९६ के अनुसार नियुक्ति प्रदान की गई है।

अतः उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुये पदस्थापन आदेश १५ दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश ०२ प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवाएँ।

संलग्न :- मूल प्रकरण

भवदीय

(डॉ दीप नारायण पाण्डेय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(वन बल प्रमुख)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.३(७७)२०२२/कार्मिक (मृ.आ.)/प्रमुवसं / २५९-६६ दिनांक : १६/२ २०२३
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर/वन्यजीव, जोधपुर।

2. उप वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर।

3. उप वन संरक्षक; सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन करने हैं।

4. प्रभारी गोपनीय/प्रभारी कार्मिक-स्ट्रेन्थ/निजी सहायक सुश्री अंजुमा अंजुमा अंजुमा प्रधान Pandey
मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर। Designation: Principal Chief Conservator Of Forests, Jaipur, Rajasthan
5. श्री किशन राव पुत्र स्व. श्रीमती दरिया भाट निवासी शिव Date: 2023.02.13 11:10:13 IST
RajKaj Ref No. : 3144974 Reason: Approved

Signature valid

